न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं0 11/2024 तारीख रजूः– 07.10.2024

पीठासीन अधिकारी :– हेमराज गुर्जर

R.A.S.

1. दुलारी पत्नी हरीसिंह पुत्री परभाती, जाति जाटव, निवासी कारवाडी, तहसील हिण्डौन जिला–करौली (राज०).

2. गंगादेई पत्नी स्व० बल्लीराम पुत्री परभाती, जाति जाटव, निवासी कारवाडी, तहसील हिण्डौन, जिला करौली (राज०), ———————— प्रार्थीगण / अपीलान्ट्स

बनाम

1. तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला–करौली (राज०)

2. सरपंच, ग्राम पंचायत करसौली, पंचायत समिति हिण्डौनसिटी, जिला परिषद, करौली राजस्थान। ———————————————————— रैस्पोडेन्ट्स

अपील विरुद्ध नामांतकरण संख्या 883 तारीखी 21.02.2024 स्थित कारवाडी जट्ट, तहसील हिण्डौन, जिला–करौली

उपस्थित :–1. श्री शान्तिलाल करसौलिया एडवोकेट अपीलान्ट

निर्णय

दिंनाक :– 06.02.2026

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अपीलान्ट ने अपील विरूद्ध रेस्पोडेन्टस पेश कर अपील के मद नं01 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 83, पुराना 84 का खसरा नम्बर 197 रकवा 31 ऐयर वाके ग्राम कारवाडी जट्ट, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली में स्थित है।

अपील के मद नं0 2 में दर्ज किया है कि खाता संख्या नया 305, पुराना 277 का खसरा नम्बर 923/943 रकवा 2.50 है० वाके ग्राम कारवाडी जट्ट, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली में स्थित है।

अपील के मद नं0 3 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात अपीलान्ट्स के अपने मृतक पिता परभाती पुत्र गरीबा की भूमि रही है, जो अपीलान्ट्स को उनकी विरासत में प्राप्त हुई है, जिनका पारिवारिक सजरा निम्न प्रकार है:–

परभाती पुत्र गरीबा (फौत)

गोरधन (पुत्र)	भगवत (पुत्र)	पैमा (पुत्र फौत)	राजेन्द्र (पुत्र)	अर्जुन (पुत्र)	गंगादेई (पुत्री)	मल्ला (पुत्री)	दुलारी (पुत्री)

पैमा (पुत्र फौत):
आशादेवी (बेवा) — भावना (पौत्री)

अपील के मद नं0 4 में दर्ज किया है कि उक्त आराजीयात मुतजिक्रा मद नम्बर 01 व 02 अपील हाजा की खातेदारी अपीलान्ट्स के पिता के नाम थी। इसमें से खाता संख्या नया 305, पुराना 277 का खसरा नम्बर 923/943 रकवा 2.50 है० वाके ग्राम कारवाडी जट्ट, तहसील हिण्डौनसिटी, जिला करौली का विरासत का नामांतकरण खोलते समय राजस्व कर्मचारी ने विरासत के अनुसार नामांतकरण नहीं खोलकर अपीलान्ट्स को छोड़कर उनके अन्य भाई अर्जुन, गोवर्धन, भगवत, राजेन्द्र व पैमा के वारिसान आशादेवी, भावना तथा जगमोहन के वारिसान व बहिन मल्ला के नाम नामांतकरण खोल दिया गया, जिसका कि राजस्व कर्मचारियों को कोई अधिकार किसी प्रकार प्राप्त नहीं था। इस प्रकार उक्त नामांतकरण संख्या 883 तारीखी 21.02.2024 प्रारम्भ से ही शून्य व निष्प्रभावी है, जिसे निरस्त किया जाना कानूनन न्यायोचित है।

अपील के मद नं0 5 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट्स के उपरोक्त भाई–बहिन व उनके वारिसान अत्यंत चालाक किस्म के व्यक्ति हैं, जिन्होंने हल्का पटवारी से साज कर खाता संख्या 305 के खसरा नम्बर 923/943 रकवा 2.50 है0 में अपने मृतक पिता परभाती से प्राप्त हिस्सा के अनुसार नामांतकरण अपने नाम खुलवा कर ग्राम पंचायत सरपंच रैस्पोडेन्ट नम्बर 02 पर राजनीतिक दवाब बनाकर अवैध रूप से जेरे अपील नामांतकरण को स्वीकृत करवा लिया और उसका अमल जमाबंदी में करवा दिया।

अपील के मद नं0 6 में दर्ज किया है कि अपीलान्ट्स द्वारा केसीसी की फाइल दिनांक 24.09.2024 को हल्का पटवारी से बनवाने पर उक्त अपीलाधीन शून्य एवं निष्प्रभावी नामांतकरण की जानकारी हुई और राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अपीलान्ट्स के नाम छोड़े जाने की हुई अशुद्धि को दुरुस्त करवाने के लिए रैस्पोडेन्ट नम्बर 02 से कहा

तो रैस्पोडेन्ट नम्बर 02 ने गलती को सही करने को लेकर स्पष्ट मना कर दी। इस पर अपीलान्ट्स ने उक्त नामांतकरण को निरस्त कर उनके नाम शामिल करते हुए दूसरा नामांतकरण खोलने का एक प्रार्थना पत्र श्रीमान तहसीलदार हिण्डौनसिटी को दिया तो उन्होंने प्रार्थना पत्र लेकर रख लिया और कहा कि सक्षम न्यायालय में चाराजोही करो। इसलिए अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील पेश करना आवश्यक हुआ।

अपील के मद नं0 7 में दर्ज किया है कि अपील को सुनने व फैसल करने का क्षेत्राधिकार श्रीमानजी को प्राप्त है।

अपील के मद नं0 8 में दर्ज किया है कि अपील नीयत न्यायालय शुल्क पर पेश है।

अपील के मद नं0 9 में दर्ज किया है कि अन्य उज्रात बरवक्त बहस जुबानी अर्ज किए जावेंगे।

अतः अपील अपीलान्ट्स पेश कर अर्ज है कि अपील अपीलान्ट्स स्वीकार की जाकर नामांतकरण संख्या 883 तारीखी 21.02.2024 स्थित कारवाडी जट्ट, तहसील हिण्डौन जिला करौली (राज०) को अपास्त फरमाया जाकर अपीलान्ट के मृतक पिता परभाती के मुताबिक जमाबंदी का पैतृक हिस्सा अनुरूप नवीन नामांतकरण तस्दीक फरमाने बावत तहसीलदार जी तहसील हिण्डौन को आदेशित फरमाने की कृपा करें।

अपील अपीलान्टस दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्टस को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 24.01.2025 को रेस्पोडेन्ट सं02 बाद तामील उपस्थित आई। रेस्पोडेन्टस दिनांक 15.01.2025 को उपस्थित नहीं हुए, इसलिए उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये।

वकील अपीलान्टस ने दस्तावेजी सबूत में नकल नामान्तकरण सं0 883 दिनांक 17.02.2024 ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन, नकल जमाबन्दी सं0 2072—75, नकल नामान्तकरण सं0 787 दिनांक 29.10.2021 ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन पेश किये हैं।

वकील अपीलान्टस उपस्थित। वकील अपीलान्ट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील अपीलान्टस ने दौराने बहस अपील में वर्णित तथ्यों को दौहराया है और अपीलान्ट की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया है।

वकील अपीलान्टस की एकपक्षीय बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। अपीलान्टस की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी सबूत

नकल नामान्तकरण सं0 883 दिनांक 17.02.2024 ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन के अनुसार खाता सं0 305 खसरा नम्बर 923/943 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन के खातेदार परभाती पुत्र चिरंजी हि0 81/125 जाति जाटव सा0देह खातेदार के स्थान पर अर्जुन पुत्र परसादी हि0 27/250, आशादेवी पत्नि स्व0 पैमा हि0 27/500, गोवर्धन पुत्र परभाती हि0 27/250, भगवत पुत्र परभाती हि0 27/250, भावना पुत्री पैमा हि0 27/500, मल्ला पुत्री परभाती हि0 27/250, राजेन्द्र कुमार पुत्र परभाती हि0 27/250 जाति जाटव सा0 देह खातेदार, के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त नामान्तकरण को सरपंच ग्राम पंचायत करसौली द्वारा स्वीकृत किया गया है।

नकल जमाबन्दी सं0 2072–75 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 923/943 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन की खातेदारी अर्जुन पुत्र परसादी हि0 27/250, आशादेवी पत्नि स्व0 पैमा हि0 27/500, गोवर्धन पुत्र परभाती हि0 27/250, नाबालिग पिन्टू पुत्र जगमोहन संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि0 22/375, भगवत पुत्र परभाती हि0 27/250, भावना पुत्री पैमा हि0 27/500, मल्ला पुत्री परभाती हि0 27/250, रूपन्ती पत्नि जगमोहन हि0 22/375, राजेन्द्र कुमार पुत्र परभाती हि0 27/250, नाबालिग रामदेव पुत्र जगमोहन संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि0 22/375, नाबालिग वलराम पुत्र जगमोहन संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि0 22/375, नाबालिग सुमित्रा पत्री जगमोहन संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि0 22/375, नाबालिग सुरेशवाई पुत्री जगमोहन संरक्षक सरपरस्त माता खुद हि0 22/375, जातियान जाटव सा0देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है।

नकल नामान्तकरण सं0 787 दिनांक 29.10.2021 ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन के अनुसार खाता सं0 83 खसरा नम्बर 197 रकबा 0.31 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन के खातेदार परभाती पुत्र गरीबा हिस्सा पूर्ण जाति जाटव सा0 देह खातेदार के स्थान पर अर्जुन पुत्र परसादी हि0 1/8, गंगादेई पुत्री परभाती हि0 1/8, गोवर्धन पुत्र परभाती हि0 1/8, दुलारी पुत्री परभाती हि0 1/8, पैमा पुत्र परभाती हि0 1/8, भगवत पुत्र परभाती हि0 1/8, मल्ला पुत्री परभाती हि0 1/8, राजेन्द्र पुत्र परभाती हि0 1/8, जाति जाटव सा0 देह खातेदार के नाम दर्ज रिकार्ड है। उक्त नामान्तकरण को तहसीलदार हिण्डौन के द्वारा स्वीकृत किया गया है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह स्पष्ट है कि नामान्तकरण सं0 883 दिनांक 17.02.2024 ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन विवादित आराजी खाता सं0 305 खसरा नम्बर 923/943 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन के

खातेदार परभाती पुत्र चिरंजी हि0 81/125 जाति जाटव सा0देह खातेदार के स्थान पर अर्जुन पुत्र परसादी हि0 27/250, आशादेवी पत्नि स्व0 पैमा हि0 27/500, गोवर्धन पुत्र परभाती हि0 27/250, भगवत पुत्र परभाती हि0 27/250, भावना पुत्री पैमा हि0 27/500, मल्ला पुत्री परभाती हि0 27/250, राजेन्द्र कुमार पुत्र परभाती हि0 27/250 जाति जाटव सा0 देह खातेदार, के हक में पटवारी हल्का के द्वारा भरा गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत करसौली द्वारा स्वीकृत किया गया है वह मृतक परभाती पुत्र चिरंजी जाति जाटव निवासी कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन के विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच पडताल करने के उपरान्त भरकर तस्दीक नहीं किया गया है। उक्त विरासत के नामान्तकरण में मृतक परभाती पुत्र चिरंजी जाति जाटव निवासी कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन के विधिक वारिसान उसकी पुत्रीयॉ दुलारी व गंगादेई भी थी, जिनके नाम नामान्तकरण सं0 883 भरकर तस्दीक नहीं किया गया है। इसलिए उक्त नामान्तकरण नामान्तकरण सं0 883 दिनांक 17.02.2024 ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन विवादित आराजी खाता सं0 305 खसरा नम्बर 923/943 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन निरस्त योग्य न्यायोचित प्रतीत होता है तथा मृतक परभाती पुत्र चिरंजी जाति जाटव निवासी कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन के विधिक वारिसान की पूर्ण जॉच पडताल करने के उपरान्त नियमानुसार विरासत की पूर्ण जॉच कर पुनः नामान्तकरण तस्दीक करने हेतु तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। इस प्रकार अपीलान्टस की अपील स्वीकार योग्य न्यायोचित प्रतीत होती है।

अतः अपील अपीलान्टस विरूद्ध रेस्पोडेन्टस स्वीकार की जाकर नामान्तकरण सं0 883 दिनांक 17.02.2024 ग्राम कारवाडी जट्ट तहसील हिण्डौन विवादित आराजी खाता सं0 305 खसरा नम्बर 923/943 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन निरस्त किया जाता है तथा तहसीलदार हिण्डौन को आदेश दिये जाते हैं कि आराजी खाता सं0 305 खसरा नम्बर 923/943 रकबा 2.50 है0 वाके ग्राम कारवाडीजट्ट तहसील हिण्डौन के सहखातेदार परभाती पुत्र चिरंजी हि0 81/125 जाति जाटव सा0देह खातेदार के वारिसान की पूर्ण रूपेण जॉच कर नियमानुसार पुनः विरासत का नामान्तकरण भरकर तस्दीक करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार हिण्डौन को पालनार्थ भेजी जावे। पत्रावली फैंसल सुमार होकर बाद तकमील नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 06.02.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हेमराज गुर्जर) 6/2/26
उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन जिला करौली